ग्राम पंचायत, शांवलाघाट विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006.12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत शांवलाघाट विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राजेश शांडिल	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री देवी शरन	23.1.16 से लगातार

सचिव

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री तारा चन्द	1.4.13 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत शांवलाघाट के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	5 (ख)	रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.72
2	10	13वें व 14वें वितयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग न करना	3.48
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक स्टोर का कय करना	2.15
4	13	मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से अधिक भुगतान करना	0.65

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत शांवलाघाट विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13.6.2016 से 16.6.2016 के दौरान ग्राम पंचायत, शांवलाघाट के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए कमशः माह 7/13, 6/14, 9/15 तथा माह 6/13, 6/14, 5/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत शांवलाघाट विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 1 दिनांक 16.6.16 द्वारा सचिव, पंचायत शांवलाघाट से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत शांवलाघाट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

(क) स्व स्त्रोत :– ग्राम पंचायत शांवलाघाट द्वारा प्रस्तुत पंचायत की अवधि 4/2013 से 3/2016 की स्वयं स्त्रोतों **(खाता ''क'')** की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिमशेष
2013–14	416671	97228	**513899**	19562	**494337**
2014–15	494337	38294	**532631**	22827	**509804**
2015–16	509804	75535	**585339**	46352	**538987**

नोट :– उक्त अथशेष की राशि में विविध अनुदान की अथशेष की राशि भी शामिल है ।

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत शांवलाघाट द्वारा प्रस्तुत पंचायत की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता "ख")** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –1** पर संलग्न है।

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	83824	2946204	**3030028**	2440584	**589444**
2014–15	589444	1714260	**2303704**	1518311	**785393**
2015–16	785393	1005844	**1791237**	1113104	**678133**

उक्त अनुदानों की राशियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः–

विविध अनुदान	**वर्ष**	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
	2013–14	–––	1548717	**1548717**	1106976	**441741**
	2014–15	441741	649124	**1090865**	671096	**419769**
	2015–16	419769	932484	**1352253**	824006	**528247**

मनरेगा	**वर्ष**	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
	2013–14	83824	1113133	**1196957**	1084637	**112320**
	2014–15	112320	601035	**713355**	634709	**78646**
	2015–16	78646	–	**78646**	–	**78646**

वाटर शैड	**वर्ष**	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेंष**
	2013–14	–	284354	**284354**	248971	**35383**
	2014–15	35383	464101	**499484**	212506	**286978**
	2015–16	286978	73360	**360338**	289098	**71240**

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत शांवलाघाट की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है।

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, शांवलाघाट द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹72823 का अन्तर था।

क्रम सं0	खाता	अन्तशेष
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार खाता "क"–पैरा 4 (क)	**538987**
2	रोकड वही के अनुसार खाता "ख"–पैरा 4 (ख)	**678133**
	कुल योग	**1217120**

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

	विवरण	बैंक	खाता	राशि
1	पंचायत निधि +विविध अनुदान	हि0प्र0 रा0 सहकारी बैंक, घनाटी	3053	32087
2	–यथोपरि	–यथोपरि–	2280	35295
3	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3052	71052
4	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2939	4654
5	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1899	263866
6	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2245	256535
7	–यथोपरि–	–यथोपरि–	5234	120959
8	मनरेगा	–यथोपरि–	2281	9
9	वाटर शैड	–यथोपरि–	5370	60153
10	वाटर शैड	–यथोपरि–	5369	11087
		कुल योग (ख)		**1144297**
	रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क–ख)			**72823**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना :– ग्राम पंचायत शांवलाघाट की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की

जा रही है। ग्राम पंचायत शांवलाघाट के लेखों की पड़ताल में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम के विरूद्व की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई :—

(i) पंचायत द्वारा पंचायत स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु तीन रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है जो कि नियम के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व तीन रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए ।

(ii) इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फार्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत शांवलाघाट में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने से किसी भी समय योजना विशेष की वित्तीय स्थिति तथा उस योजना में अन्तशेष की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, परन्तु लैजरों का निर्माण न करने से इस नियम की अवहेलना है। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए ।

(iii) उक्त के अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से **खाता "क"** में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा **खाता "ख"** में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत शांवलाघाट में दो के स्थान पर गत पैरा 5(ख) में वर्णित दस बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

7 निवेश

सचिव ग्राम पंचायत, शांवलाघाट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी ।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित निमयों के अनुसार तैयार न करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया जा रहा है।

अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹7340 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत, शांवलाघाट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–2)** तथा पंचायत की स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व में **₹7340** वसूली हेतु शेष थी।

(क) गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	–––	8400	8400	5900	2500
2014–15	2500	8400	10900	1900	9000
2015–16	9000	8400	17400	12060	**5340**

(ख) मोबाईल टावर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	––	2000	2000	2000	–––
2014–15	–––	2000	2000	2000	–––
2015–16	–––	2000	2000	––––	**2000**
			योग (क) +(ख)		**7340**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10 13वें व 14वें वितयोग से प्राप्त अनुदान की ₹3.48 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 13वें व 14वें वितयोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट–3}** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹348705 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.15 लाख के स्टाक स्टोर सामान का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹215377.00 के स्टॉक स्टोर के सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टाक स्टोर के सामान का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में स्टाक स्टोर के सामान का क्रय नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 वांछित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे अनुमान, प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, व्यय स्वीकृति और कार्य की समाप्ति रिपोर्ट अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं0 2 दिनांक 16.6.16 द्वारा भी सचिव ग्राम पंचायत शांवलाघाट को कहा गया था तथा सचिव ग्राम पंचयात शांवलाघाट ने अपने लिखित उत्तर से अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त अभिलेख की फाइलें खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा के कार्यालय में है, जिसे आगामी अंकेक्षण में लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाऐगा। अतः उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए ।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाऐं भी लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए :–

विवरण	माह	वाउचार सं0	राशि
मस्ट्रौल सं0 503 अवधि 21.5.14 से 3.6.14	6/14	22	17248
मस्ट्रौल सं0 505 व 506 अवधि 21.5.14 से 3.6.14	6/14	34 व 35	34342

13 मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से ₹0.65 लाख का अधिक भुगतान करना

नियमानुसार मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है उसके मूल्य के बराबर उनके द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा उनकी किये गये कार्य मूल्य के बराबर ही भुगतान किया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में विभिन्न मस्ट्रौलों पर रखे गये मजदूरों को किये गये भुगतान तथा भुगतान की एवज में उनके द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन हि0प्र0 वर्ष 1999

की मानक दरों पर लेबर प्रीमियम अनुसार बढ़ौतरी करके आंका गया व भुगतान को उचित ठहराया गया है, परन्तु इस कार्य के मूल्यांकन से नियमानुसार वांछित 10 प्रतिशत लाभ तथा 5 प्रतिशत ओबरहैड चार्जिज की कटौती नहीं की गई है, परिणाम स्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में मस्ट्रौल पर नियुक्त मजदूरों को उनके द्वारा किया गया कार्य से ₹65246 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–5** पर दिया गया है। अतः नियमानुसार कटौती न करके कार्यप्रगति के साथ भुगतान का मिलान न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाये व किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये, अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये व भविष्य में नियमों की अनुपालना कर भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

14 क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹5001 का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी, उस पर 10एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 3 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट–6** पर संलग्न है, के अनुसार बजरी पर 3 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹5001 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक किये गये भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

15 निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है, परन्तु क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की जा रही है तथा सामग्री की वास्तविक खपत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथी विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख को उचित प्रकार से तैयार न करने के कारण स्टॉक के दुःर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः क्रय की जा रही सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए ।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)(ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1)(डी)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

17 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविध अनियमितताए

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पदान करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।

19 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई ।

20 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 3/2016–खण्ड–1–4517–4520 दिनाँक 23.08.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत शांवलाघाट, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेशित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हि0प्र0
4 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–4

Sr. No	Month	Vr. No	Name of Item	Name of firm	Amount
1	6/13	15 जव 38	24 sign Board with angle	Lalit Art Studio, Dhami Distt. Shimla.	72000
2	6/14	12	713 Kg steel etc.	Thakur Steel Hardware & Electrical Bnuti Shimla	35267
3	6/14	14	Rent of Shutring	Banda Shutring, Village Ner Distt. Shimla	15400
4	6/14	21	Stationery	Munish Book Binding House, Totu Shimla	3210
5	6/14	10	200 Kg Steel	Thakur Steel Hardware & Electrical Bnuti Shimla	13998
6	5/15	5	Carriage of 500 Cft. Sand.	Smt. Youngum Negi Ghanahatti Shimla	40000
7	5/15	6	410 Kg Steel	Thakur Steel Hardware & Electrical Bnuti Shimla	17254
8	5/15	10	400 Kg steel	Thakur Steel Hardware & Electrical Bnuti Shimla	18248
				Total	**215377**